लपसंखयक कार्य मंत्रालय

भारतीय हज समिति ने हज नीति 2018-22 पर रिपोर्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत की

Posted On: 07 OCT 2017 3:54PM by PIB Delhi

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 2013-17 के लिए सरकार की हज नीति की समीक्षाकरने तथा हज नीति 2018-22 के लिए रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी समिति ने आज (7 अक्तूबर, 2017) मुंबई में केंद्रीय अल्पर

हज भारत सरकार द्वारा इसकी सीमाओं से बाहर किए गए सर्वाधिक जटिल संगठनात्मक कार्यों में सेएक है। यद्यपि, यह एक पांच दिन का धार्मिक समागम है, वास्तव में यह वर्ष भर चलने वालीप्रवंधकीय क हज-2013 के बाद सऊदी अरव सरकार द्वारा भारत के लिए निर्धारित हज कोटा 136020 निर्धारितकया गया था। वर्ष 2016 में 135902 तीर्थयातिरयों ने हज किया जिसमें से 99902 भारतीय हजसमिति के माध्यम से गए और 36000 निजी टूर आपरेटरों

भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों के लिए हज नीति के बारे में उच्चतम न्यायालय केनिदेशों को देखते हुए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और एक नई नीति बनाने का निर्णय लियागया है। तद्नुसार, अल्यसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक समिति गृटि

समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल था :

- · भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों से संबंधित मौजुदा हज नीति की इसके उद्देश्योंऔर उपलब्धियों की रोशनी में इसकी समीक्षा करना।
- · मौजूदा नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निदेशों के निहित-प्रभावों कीछानवीन करना और ऐसे निदेशों की रोशनी में उक्त नीति में उपयुक्त संशोधन सुझाना।
- · इज सब्सिडी से संबंधित मुद्दों सहित भारतीय इज सिमिति द्वारा हज तीर्थयाति रयों के लिएआवास और हवाई यात्रा के लिए किए गए प्रवंधों की कारगरता की समीक्षा करना।
- · भारतीय हज समिति और सीजीआई की कार्य परणाली में अंतर-संबंधों और तालमेल कीकारगरता की छानबीन करना।
- · 💮 इज तीर्थयातिरयों के हितों की रक्षा के लिए पीटीओ के लिए पारदर्शिता, उपभोगता संतुष्टि औरपुरकटीकरण अपेक्षाओं के पहलुओं की छानबीन करना ताकि नई नीति को तीर्थयातिरयों के लिएअधिक सहायक बनाया जा सके।
- · 💮 निजी टूर आपरेटरों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उनके द्वारा प्रदान की गईसेवाओं के लिए अधिक महत्व के लिए उपाय सुझाना।
- · एचसीओआई और पीटीओ के लिए हज नीति के संगत अन्य किन्हीं मुद्दों की छानबीन करना।
- · उपर्युक्त की रोशनी में एचसीओआई और पीटीओ के लिए नई हज नीति हेतु ढांचा सुझाना।

समिति ने 15 फरवरी, 2017 से अपना कार्य करना शुरू किया और सूचना संकलित करने तथाअपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बहुत सी बैठकें कीं। इसने सभी स्टेकहोल्डरों, समुदायके नेताओं और सामान्य जनता के साथ व्यापक परामर्श कि 2017 को नई दिल्ली में आम जनता और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ व्यक्तिगतवातचीत की थी।

समिति ने सऊदी अरब राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारत के महाकौँसलावास(सीजीआई), जेद्दाद्वारा की गई हज व्यवस्थाओं की विमर्ग किया। समिति ने मोस्सासाके प्रचालन अधिकारियों और हज प्रचालन में लगे पदाधिकारियों अर्थात् नक्कावा सव्यरत, मकतावुल वुकला, अदिला एस्टेब्लिशमेंट, सऊदी एयरलाइनों और जीएसीए आदि के प्रतिनिधियोंके साथ परस्पर वातचीत व

व्यापक परामर्श और बातचीत के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

सिमति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित अनुसार हैं:

भारतीय हज समिति के लिए सरकार की हज नीति

- 1. भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों के बीच कोटे का वितरण अगले 5 वर्षों केलिए 70:30 के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जाए।
- 2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीटों का वितरण उनकी मुस्लिम आबादी के अनुपात केसाथ-साथ प्राप्त आवेदनों के अनुपात में किया जाए।
- 3. मेहरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किया जाए।
- $4. \quad$ जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष कोटा 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जाए।
- 5. 500 से कम आवेदन प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिशेष सीटों केवितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समृह, लक्षद्वीप, दादरएवं नागर हवेली, दमन एवं दिव तथा पुड्चेरी जैसे संघ राज्य क्षेत्रों
- 6. आवेदकों की आरक्षित श्रेणी अर्थात् 70+ तथा चौथी बार वालों को समाप्त किया जाए।
- $7. \quad 45$ वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मेहरम के विना हज के लिए चार या इससेअधिक के समूह में जाने की अनुमित दी जाए।
- 8. मक्का, अजीजीया और आस-पास के क्षेत्रों में केवल एक श्रेणी का आवास यात्रियों केलिए परिवहन की सुविधाओं के साथ नई, बहु-मंजिला आधुनिक इमारतों में किराये पर लियाजाए।
- 9. बाद के वर्ष में नई, अच्छी और बड़ी इमारतों में पुन: किराये पर लेने की व्यवस्था कीजाए।
- 11. भारतीय हाजियों को ठहराना मीना की पारंपरिक सीमाओं के भीतर सुनिश्चित कियाजाए।
- 13. ठेकेदारों के संघ को पारदर्शी बोली प्रिक्रिया से तोड़ा जाए। बेहतर बातचीत से किराये कीदर नीचे लाई जाए।
- 14. आरोहण स्थल (ईपी) 21 से घटाकर 9 किए जाएं जो (1) दिल्ली (2) लखनऊ (3) कोलकाता (4) अहमदाबाद (5) मुंबई (6) चेन्नई (7) हैदराबाद (8) वैंगलुरू और (9) कोचीन मेंहों। इन आरोहरण स्थलों पर उपयुक्त हज गृहों का निर्माण किया
- 15. बंद कर दिए गए आरोहण स्थलों पर निर्मित सुविधाओं का उपयोग वर्ष भर प्रिशिक्षण, तीर्थ-यातिरयों के अभिमुखीकरण और समुदाय के लिए अन्य उत्पादक प्रयोगों के लिए कियाजाए।
- 16. पोत के द्वारा हज यात्रा करने के बारे में सऊदी सरकार से परामर्थ किया जाए औरउसके बाद ऐसी यात्रा के लिए बाजार की थाह लेने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापनिया जाए।

निजी टूर आपरेटरों के लिए सरकार की नीति

- 17. पीटीओ आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक मजबूत पोर्टल विकसित किया जाए।
- 18. हज प्रभाग के निर्णयों से दुखी पीटीओ के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए 2-3 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए।
- 19. पीटीओ को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत कियाजाए। पीटीओ का कोटा वैयक्तिक पीटीओ को सीटों का 200:100:50 के अनुपात में आवंटनकरने के प्रावधान के साथ तीनों वर्गों के बीच 30:40:30 के अनुप
- 20. पीटीओं के लिए एक व्यापक पैनलीकरण नीति तैयार की जाए जिससे आसानी एवं तेजीसे नवीकरण करने में सुविधा होगी। पैनल में शामिल करना दस्तावेजों के साथ-साथ पीटीओं केवास्ताविक निरीक्षण के आधार पर किया जाए। पीटीओं को सूची
- 21. पीटीओ यात्तिरयों से केवल वैंक स्नाते के माध्यम से पूर्ण पैकेज लागत वसूल करें औरभारत से यात्तिरयों के प्रस्थान से पूर्व मंत्रालय को विवरण प्रस्तुत करें।

22. प्रत्येक पीटीओ के पास पूर्व निर्धारि	त प्रकटन मानदंडों के साथ एक सही-सही वेबर	साइटहोनी चाहिए।			
23. पीटीओ का नाम बदलकर हज समूह	संगठक (एचजीओ) किया जाए।				
अन्य सिफारिशें					
24. वेहतर समन्वय के लिए सचिव (अल्पसंस्थक कार्य) और सचिव (विदेश मंत्रालय) कीसह-अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचालन समिति कागठन किया जाए।					
25. भारत से दो सदस्यीय हज सद्भावन	25. भारत से दो सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधि मंडल जारी रहे।				
26. सीरिया, ईरान, ईराक और जोर्डन तक उमरा और जियारत शामिल करने, पुराने उपवंधोंको हटाने, भारतीय हज समिति में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अधिकारी शामिल करने आदिके वारे में हज समिति अधिनियम में संशोधन।					
उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मंत् रालयों AK	/एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेह	हीसुनिश्चित करने के लिए और हज तीर्थ-याति्रयों को	ो बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कईअन्य सि	ाफारिओं की गई हैं। इसकी प्रस्तुति के बाद एचपीआरसी व	
(Release ID: 1505163) Visitor Counter : 13					
f	¥	Q	igtriangledown	in	